



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर परिपत्र

क्रमांक...137...

दिनांक...22/6/11

विषय:- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के प्रशासकीय अनुमोदन तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन स्वीकृति की शक्तियों में संशोधन बाबत ।

मण्डल के 32वां सम्मिलन दिनांक 20.05.2011 के संकल्प क्रमांक 895-23/32/05/2011 के पद संख्या क्र. 23 में लिये गये निर्णयानुसार मंडल के निर्माण कार्य/परियोजना/योजनाओं के प्रशासकीय अनुमोदन एवं पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन स्वीकृति हेतु प्राप्त शक्तियों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी	वर्तमान में प्राप्त वित्तीय शक्ति	वित्तीय शक्तियों में संशोधन
मंडल	रु. 100.00 लाख से अधिक	रु. 250.00 लाख से अधिक
आयुक्त	रु. 100.00 लाख तक	रु. 250.00 लाख तक

ये परिपत्र तत्काल प्रभाव से प्रभावशील माना जावेगा ।

[Signature]
आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

रायपुर, दिनांक 22/6/2011

4643 /आ.आ./मुख्या./ 11,
प्रतिलिपि,

1. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर ।
2. निज सहायक, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर ।
3. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर ।
4. उपायुक्त I (योजना)/ II (विकास), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
5. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
7. लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
8. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
9. कार्यपालन अभियंता, संभाग क्रमांक-1/2/3/राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/परि.संभाग दुर्ग/बिलासपुर/ धमतरी/ राजनांदगाँव/ जगदलपुर/ रायगढ़/ अंबिकापुर ।

[Signature]
आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

क्रमांक 6355
दिनांक 24-6-11